प्रेस विज्ञप्ति

29.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इंदरजीत सिंह यादव, उसके साथियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले के संबंध में 26.12.2025 और 27.12.2025 को दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इंदरजीत सिंह यादव द्वारा अवैध उगाही, प्राइवेट फाइनेंसरों से जबरन ऋण निपटान, हथियारों से डराना और ऐसी अवैध गतिविधियों से कमीशन अर्जित करने के संबंध में धन शोधन की जांच शुरू की गई है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959, बीएनएस, 2023 और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई 15 से अधिक एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेम्स ट्यून्स के रूप में काम कर रही) के मालिक और प्रमुख नियंत्रक इंदरजीत सिंह यादव हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक जाना-माना बाहुबली है। इंदरजीत सिंह यादव हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित है और वर्तमान में फरार है और यूएई से काम कर रहा है।

ईडी की जांच में पता चला कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसे कुछ कॉर्पोरेट घराने और अन्य कथित तौर पर दिघल, झज्जर स्थित निजी फाइनेंसरों से भारी मात्रा में नकद उधार लेते हैं और सुरक्षा के तौर पर पोस्ट-डेटेड चेक जारी करते हैं। जांच में यह भी पता चला कि इंदरजीत सिंह यादव ने एक बाहुबली और प्रवर्तक के रूप में काम किया, इन उच्च-मूल्य वाले निजी ऋण लेनदेन और सैकड़ों करोड़ रुपये के वित्तीय विवादों के जबरन निपटान की सुविधा प्रदान की। ये निपटान कथित तौर पर धमकियों, डराने-धमकाने और सशस्त्र सहयोगियों/स्थानीय सशस्त्र गिरोहों के उपयोग के माध्यम से किए गए थे, जिसमें विदेश से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट की भागीदारी थी। निपटान की इस प्रक्रिया में, उसने कथित तौर पर इन कॉरपोरेट्स से कमीशन के रूप में सैकड़ों करोड़ कमाए। इंदरजीत सिंह यादव द्वारा इन धोखाधड़ी वाले तरीकों से करोड़ों की उत्पन्न आय का उपयोग कथित तौर पर अचल संपत्ति, लक्जरी कारों के अधिग्रहण और न्यूनतम आयकर रिटर्न घोषित करते हुए शानदार जीवन बनाए रखने के लिए किया गया था।

तलाशी एवं जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप 05 लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इंदरजीत सिंह एवं उसके साथियों से संबंधित डिजिटल डेटा जब्त किए गए। तलाशी में यह भी पता चला कि इंदरजीत सिंह यादव द्वारा कॉर्पोरेट घरानों और निजी वित्तदाताओं के बीच ऋण निपटान के लिए एक वेबसाइट/पोर्टल विकसित और संचालित किया गया था। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान, यह पता चला कि इंदरजीत सिंह यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर अपराध के आगमों से विभिन्न चल और अचल संपत्तियां अर्जित की गईं।

आगे की जांच जारी है।



